



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2003/का.आ./02-62/2023

दिनांक : 04.07.2023

संशोधित कार्यालयादेश

कार्यालयादेश क्रमांक 003/2003/का.आ./02-60/2023 दिनांक 28.06.2023 के माध्यम में विश्वविद्यालय परिसर को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए 'जेंडर चैम्पियन' नामित किये गये हैं। उक्त आदेश में से सुश्री अर्चना निगम के विभाग में संशोधन करते हुए निम्नानुसार जेंडर चैम्पियन नामित किये जाते हैं :

1. श्री रवीन्द्र कुमार रवि, पी-एच.डी. (हिंदी साहित्य), सत्र 2020-21
2. सुश्री अर्चना निगम, पी-एच.डी. (फिल्म अध्ययन), सत्र 2021-22

'जेंडर चैम्पियन' शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 04/07/23

प्रति (ई-मेल द्वारा) : सभी संबंधित

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, जेंडर संवेदनशीलता समिति
5. कुलानुशासक
6. मुख्य छात्रावास अधीक्षक
7. प्रभारी लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. संबंधित पत्रावली